भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पद

1827. **श्री धूलेश्वर मीणा:** क्या **खाद्य और नागरिक आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य विशेषतः राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित काफी पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के कितने पद कब से रिक्त पड़े है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा): (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा सीधी भर्ती पर लगाए गए सामान्य प्रतिबन्ध के कारण भारतीय खाद्य निगम में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित लगभग 2220 पद पड़े हुए हैं ।

(ख) आरक्षित रिक्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

श्रेणी	अखिल भारत		राजस्थान	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	8	-	-
2	55	76	-	-
3	423	963	5	30
4	369	324	32	43

(ग) ये रिक्तिया मुख्यतया सीधी भर्ती के कोटे की हैं। पदोन्नति के मामलो में भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार विचारार्थ सामान्य जोन का विस्तार कर और ढील आदि देकर विहित कोटे तक आरक्षित रिक्तियां भरी जाती हैं । भारतीय खाद्य निगम का निदेशक बोर्ड के आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद प्रतिबन्धों में ढील देकर इन रिक्तियों को भरने का विचार है।